

नियम 92 : प्रतिदाय मंजूरी आदेश

- (1) जहां आवेदन की परीक्षा करने पर समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिदाय शोध्य है और आवेदन को संदेय है; तो वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में प्रतिदाय की रकम जिसका वह हकदार है कि मंजूरी का आदेश करेगा; यदि कोई, धारा 54 की उपधारा (6) के अधीन अनंतिम आधार पर उसको प्रतिदाय किया जा चुका है तो अधिनियम या अन्य किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध रकम समायोजित की जाएगी और शेष रकम प्रतिदाय योग्य होगी :

¹[.....]

- ²[(1क) जहां शून्य दर पूर्ति या समझा गया निर्यात पर संदत्त कर की वापसी से भिन्न कर के रूप में संदत्त किसी रकम की वापसी का आवेदन की परीक्षा के लिए उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (5) के अधीन की गई वापसी शोध्य है और आवेदक को संदेय है, वह नगदी में संदत्त किये जाने के लिये वापसी की रकम को स्वीकृत करते हुए प्ररूप आरएफडी-06 में एक आदेश देगा अधिनियम के अधीन या किसी प्रवृत्त विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित रकम में उल्लिखित सुसंगत अवधि के लिए उन्मोचित कर दायित्व के लिए कुल संदत्त रकम के विरुद्ध नकदी में विकसित रकम के लिए आनुपातिक और वापसी योग्य रकम का अतिशेष और शेष रकम के लिए, जो ऐसे कर के संदाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से विकलित किया गया है, उचित अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में निवेश कर प्रत्यय के रूप में उक्त रकम को पुनः जमा करते हुए प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03 जारी करेगा।]

- * (2) जहां उचित अधिकारी या आयुक्त की राय है रिफंड की राशि उपधारा 10 या, जैसा भी मामला हो, उपधारा 11 के तहत रोकी जा सकती है धारा 54, वह फार्म जीएसटी आरएफडी-07 के 386 ³[भाग ए] में एक आदेश पारित करेगा जिसमें उसे इस तरह के रिफंड को रोकने के कारण बताये जाएंगे।

- ⁴[परन्तु जहां समुचित अधिकारी या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिदाय इससे अधिक रोके जाने हेतु दायी नहीं है, वहाँ वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के भाग-ख में रोके गए प्रतिदाय को जारी किए जाने का आदेश पारित कर सकेगा।]

- (3) जहां समुचित अधिकारी लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए समाधान हो गया है, कि प्रतिदाय के रूप में दावा की गई रकम का पूरा या कोई हिस्सा स्वीकार्य नहीं है या आवेदक को संदेय नहीं हैं, वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-08 में एक नोटिस आवेदक को जारी करेगा, उस नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरएफडी-09 में उत्तर देने की अपेक्षा है और उत्तर पर विचार करने के बाद, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में एक आदेश करने के लिए, राशि की मंजूरी पूरे या भाग में वापसी या उक्त वापसी के दावे को खारिज कर दिया है और उक्त आदेश इलेक्ट्रॉनिक

¹ अधिसूचना क्रमांक 15/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा परंतुक विलोपित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"परन्तु यह कि उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम या अन्य किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध पूर्णतः समायोजित हो गई है तो समायोजन के ब्यौरे का आदेश प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के भाग क में जारी किया जाएगा।"

² अधिसूचना क्रमांक 16/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा उपनियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।

* राजपत्र में उपनियम (2) नहीं छपा है, यहां अंग्रेजी संस्करण अनुसार लिया गया है।

³ अधिसूचना क्रमांक 15/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा शब्द "भाग ख" प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)

⁴ अधिसूचना क्रमांक 15/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

रूप में आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा और उप-नियम (1) के उपबंधों को यथा आवश्यक परिवर्तन के सहित प्रतिदाय की सीमा तक लागू कर आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी :

परन्तु यह कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा।

- (4) जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप-नियम (1) ⁵[या उप-नियम (1क)] या उपनियम (2) के अधीन प्रतिदाय धारा 54 की उपधारा (8) के अधीन देय है, ⁶[वहां वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश करेगा और प्रतिदाय की रकम के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में ⁷[संदाय आदेश] जारी करेगा तथा उसे समेकित *⁸[संदाय आदेश] के आधार पर आवेदक की रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में वर्णित और प्रतिदाय आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट उसके किसी बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा करेगा] ⁹[परन्तु उचित अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में जारी आदेश को पुनः विधिमाम्य किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां प्रतिदाय का संवितरण उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें उक्त ⁹[संदाय आदेश] जारी की गई थी, नहीं किया गया है, वहां प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में ¹⁰[संदाय] को पुनः विधिमाम्यता की अपेक्षा नहीं होगी।]

- ¹¹[(4क) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (4) के अधीन जारी समेकित संदाय सलाह के आधार पर प्रतिदाय का संवितरण करेगी।]

- (5) जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप-नियम (1) ¹²[या उप-नियम (1क)] या उपनियम (2) के अधीन प्रतिदाय की रकम धारा 54 के उपधारा (8) के अधीन आवेदक को देय नहीं है तो वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश करेगा और प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में प्रतिदाय की रकम उपभोक्ता कल्याण कोष में प्रत्यय की जाने की ¹³[संदाय आदेश] जारी करेगा।

⁵ अधिसूचना क्रमांक 16/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।

⁶ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।

"जो वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश करेगा और प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय सूचना जारी करेगा तथा उसे उसके रजिस्ट्रीकृत विशिष्टियों विवरण में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिये यथाविनिर्दिष्ट किसी भी बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्यय किया जायेगा।"

* राजपत्र में "95" छपा है।

⁷ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा "संदाय सूचना" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।

* अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा "संदाय सूचना" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।

⁸ अधिसूचना क्रमांक 3/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

⁹ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा "संदाय सूचना" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।

¹⁰ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा "संदाय सूचना" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।

¹¹ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा उपनियम (4क) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।

¹² अधिसूचना क्रमांक 16/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।

¹³ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा शब्द "सूचना" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।